अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.–31.07.2019 से 12.09.2020 तक।

जिला–.........राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–..........64...............सन्–....2019–20...।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद

अर्जीकार–दीपक कुमार वगैरह बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू वगैरह।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
12.09.2020	आदेश	

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–(1)दीपक कुमार, पे०–श्री सुदर्शन प्रसाद, सा०–एन०एच०–33 बुण्डू (2)श्री संदीप कुमार माँझी, पे०–श्री जीतेन्द्र नाथ माँझी, सा०–बुण्डू मोहल्ला माँझी टोली, दोनों पत्रालय+थाना–बुण्डू , जिला–राँची के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–299 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–19.03.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

जमीन का विवरण

मौजा–बुण्डू , थाना–बुण्डू, थाना सं०–28

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
352	1778	01 डिसमील	उ०–आर०एस० प्लॉट सं०–1778 का अंश द०–आर०एस० प्लॉट सं०–1778 का अंश पू०–लेख्यकारी नीज, प०–अस्पताल रोड (चौकबाजार)।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त वर्णित भूमि को अपीलार्थी ने दिनांक–09.03.2018 को निबंधित डीड सं०–1948/1767 के माध्यम से श्रीमति भगवती उपाध्याय, पतिथ–स्व० श्याम कान्त उपाध्याय, बुण्डू चौक बाजार से नियमानुसार खरीदा है, एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि का नामांतरण इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है कि आवेदित भूमि के विक्रेता का संबंध पंजी।। रैयत से स्पष्ट नहीं है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि कथित भूमि का पंजी।। में केवाला प्रसाद उपाध्याय पिता–राम प्रताप उपाध्याय के नाम से दर्ज है, जो कि विक्रेता के ससुर थे। आवेदित भूमि के विक्रेता श्रीमती भगवती उपाध्याय एवं पंजी।। रैयत आपस में ससुर और पुत्र वधु का सम्बन्ध है, जो स्पष्ट है। इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से वार्ड पार्षद,वार्ड सं०–06, नगर पंचायत बुण्डू द्वारा प्रमाणित वंशावली प्रस्तुत किया गया।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

अपीलार्थी ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–299 R27/2018-2019/बुण्ड का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि के विक्रेता का संबंध पंजी।। से स्पष्ट नहीं है। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा परित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर दाखिल खारिज के अन्य बिन्दुओं की जाँचोपरांत नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

8/-/09 (signature)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

8/-/09 (signature)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।